



Neutral Citation No 2026:AHC-LKO:21049

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ खंडपीठ

रिट - ए संख्या - 3142 वर्ष 2003

गोकरण लाल और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : एस.के. मेहरोत्रा, आई.डी. शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, अशोक

मेहरोत्रा, कामेश गुप्ता

न्यायालय संख्या- 4**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. श्री दुर्गेश कुमार पाठक, अधिवक्ता जो याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री आई.डी. शुक्ला की ओर से उपस्थित हुए और प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कामेश गुप्ता को सुना गया।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 आंचलिक प्रबंधक (उत्तर) द्वारा दिनांक 27.03.2003 और 04.04.2003 को पारित आदेशों को चुनौती दे रहे हैं, जो इस रिट याचिका के अनुलग्नक-1 और 2 के रूप में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त यह भी प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिया जाए कि वे इन आक्षेपित आदेशों के आधार पर याचिकाकर्तागण के वेतन से किसी भी राशि की वसूली न करें।

3. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि 07.06.1999 को क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक जो याचिकाकर्तागण हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी थे और जो ए.जी.-I (डिपो) के पद पर तैनात थे द्वारा एक ज्ञापन जारी किया गया। इस ज्ञापन के साथ आरोप-पत्र का विवरण और अन्य दस्तावेज भी संलग्न थे, जिसमें याचिकाकर्तागण पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कर्मचारियों को ओवरटाइम (अतिरिक्त समय) पर कार्य करने के लिए लगाया और उन्हें ओवरटाइम भत्ता देने के उद्देश्य से ओवरटाइम के आधार पर उनके काम के घंटों का सत्यापन किया।

4. याचिकाकर्तागण के विरुद्ध जांच करने हेतु आर.के. शर्मा नामक एक व्यक्ति को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, उन्होंने साक्ष्य दर्ज किए और अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया कि संबंधित जांच आख्या में याचिकाकर्तागण में से किसी के भी विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जोनल मैनेजर (उत्तर) (प्रत्यर्थी संख्या 2) ने 22/23.4.2002 को याचिकाकर्तागण को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उनमें से प्रत्येक से यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए।

5. याचिकाकर्तागण ने क्रमशः 17.05.2002 और 04.07.2002 को अपने जवाब दाखिल किए। इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 27.03.2003/04.04.2003 को (कर्मचारी विनियमावली) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई नई जांच किए बिना और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए एक गैर-स्पष्ट आदेश के माध्यम से याचिकाकर्तागण के विरुद्ध दंडादेश जारी कर दिया।

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व याचिकाकर्तागण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। इस संबंध में तथ्यों का विवरण रिट याचिका के प्रस्तर 4, 23, 24 और 25 में दिया गया है। अगला तर्क यह है कि आक्षेपित आदेश नॉन-स्पीकिंग (बिना कारण बताए) आदेश हैं और याचिकाकर्तागण को दंडित करने के निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु कोई भी कारण दर्ज नहीं किया गया है। अगला तर्क यह है कि 17.05.2002 और 04.07.2002 को याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की सामग्री पर आक्षेपित आदेश पारित करते समय कहीं भी विचार नहीं किया गया है।

7. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 जांच अधिकारी की आख्या से असहमत थे, तो कारणों को अभिलिखित करते हुए एक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नई जांच की जानी चाहिए थी, परंतु दंडाधिकारी ने इस प्रकरण में नई जांच का निर्देश नहीं दिया और इसके बजाय आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जिसमें यह कारण अभिलिखित नहीं किया गया है कि वे जांच अधिकारी से असहमत क्यों हैं।

8. दूसरी ओर प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि आक्षेपित आदेश तर्कसंगत हैं और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्तागण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने उसका जवाब भी प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेशों में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है और वे न्यायसंगत तथा वैध आदेश हैं।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की विरोधी दलीलें सुनने के पश्चात मैंने अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

10. याचिकाकर्तागण के इस दावे पर विचार करते हुए कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय उन्हें सुनवाई का कोई उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था इस संबंध में रिट याचिका के प्रस्तर 4, 23, 24 और 25 में उल्लेख किया गया है, और इसका जवाब प्रति-शपथ पत्र के प्रस्तर 8, तथा 21 से 23 में दिया गया है। रिट याचिका में दिए गए तथ्यों के कथन का कोई विशिष्ट खंडन नहीं किया गया है, और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह संतुष्टि हो सके कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। इसलिए प्रति-शपथ पत्र के उपर्युक्त प्रस्तरों में इस बात की स्वीकारोक्ति को देखते हुए कि याचिकाकर्तागण को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, परन्तु इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्तागण को वास्तव में कोई व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान नहीं की गई थी। अतः आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

11. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या की सामग्री को ठीक से समझे बिना प्रत्येक याचिकाकर्ता के संबंध में उस आख्या से असहमति जताई। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्तागण को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों न की जाए। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ही वह व्यक्ति था जिसने जांच अधिकारी की आख्या पर विचार किया था और जो उस जांच आख्या से असहमत था, इसलिए उसने इस प्रकरण में किसी नई जांच का आदेश देने के बजाय सीधे ही कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की। वह ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि वह स्वयं इस प्रकरण में एक पक्षकार था।

12. आक्षेपित आदेशों में जांच अधिकारी की आख्या पर भी विचार नहीं किया गया है, और यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 उस आख्या से असहमत थे, तो उन्हें इस प्रकरण में नई जांच कराने का निर्देश देना चाहिए था। बिना किसी नई जांच के आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इसलिए जांच आख्या से अलग हटते हुए और नई जांच न कराने के कारण ये आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्तागण को दंडित करने के निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया है, अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों के अभाव में यह आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और वैध हैं, इस न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता है, अतः प्रस्तुत तर्क इस प्रकरण में विचारणीय नहीं है।

14. ऊपर दर्ज कारणों तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं, ये आदेश बिना किसी तर्क या स्पष्टीकरण के जारी किए गए हैं। आक्षेपित आदेशों में ऊपर उल्लिखित अनियमितताएं मौजूद हैं और इसलिए इन्हें रद्द किया जाना उचित है। तदनुसार दिनांक 27.03.2003 और 04.04.2003 के आक्षेपित आदेशों को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

15. परिणामस्वरूप रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

24 मार्च, 2026

गौतम

(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।